परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	महतारी वंदन योजना	समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को रू. 12,000/- वार्षिक वित्तीय सहायता देने की योजना।	30000000	लगभग 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाना है।	
2	राज्य/क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र	महिलाओं तथा बच्चों के कार्यक्रमों से संबंधित विषय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।	57298	लगभग 400 अधिकारियों/कर्मचारी को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।	
3	महिला जागृति शिविर एवं दिशा दर्शन	महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा उनके हित में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं की जानकारी देना तथा महिला समूहों को उत्कृष्ट कार्यो/अर्थोपार्जन गतिविधियों का अध्ययन भ्रमण कराना	58429	15.09 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है।	
4	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	380000	लगभग 7600 कन्याओं का विवाह करवाया जायेगा।	
5	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0-पूरक पोषण आहार योजना	प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना ।	7000000	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत लगभग 28.02 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना अनुमानित है।	
6	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0-किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	14 से 18 वर्ष आयु की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि ।	570000	प्रदेश के लगभग 2.00 लाख किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदाय ।	

परिणामी बजट वर्ष 2024–25

विभाग– महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष– आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024–25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
7	कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय एवं हितलाभ	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को मानदेय एवं सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि प्रदान करना।	4972200	आ.बा. कार्यकर्ता–52474, आ.बा. सहायिका–52474 को मानदेय तथा लगभग 400 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि	
8	महिला कोष का गठन महिला स्व–सहायता समूहों हेतु ऋण योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें वित्तीय प्रबंध व व्यापारिक आय उपार्जन गतिविधियों के लिये सशक्त बनाया हैं ।	252000	छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित स्वसहायता समूहों के लिए ऋण योजना अंतर्गत राज्य सहायता दर पर 1800 स्व–सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा 945 महिलाओं को सक्षम एवं स्वालंबन योजना के अंतर्गत सहायता दी जायेगी ।	
9	महिला हेल्पलाईन 181	घर के भीतर/बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को त्वरित सहायता व आवश्यकतानुसार आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।	7521	पीड़ित व संकटग्रस्त महिलाओं को अपालकालीन सुविधा/सहायता देना	
10	महिला सशक्तिकरण केन्द्र	महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की मानिटरिंग, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन कार्यो हेतु योजना का संचालन	100002	महिलाओं को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाएगा।	
11	वन स्टॉप सेन्टर (सखी)	किसी भी रूप में पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की अपातकालीन सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जायेगा जैसे– अस्थायी आश्रय, चिकित्सा विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, मरामर्श सुविधा	195834	लगभग 5940 महिलाओं को लाभान्वित किया जावेगा।	
12	सखी निवास	परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सखी निवास का संचालन	13737	लगभग 300 महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
13	शक्ति सदन	संकटग्रस्त महिलाओं विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा, नि:शुल्क परिपालन व पुर्नवास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ना।	33932	215 महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
14	आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई घटक	आंगनवाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम को लागू करने तथा संसाधन युक्त बनाना ।	290000	ई.सी.सी.ई पाठ्यक्रम को लागू करने प्रशिक्षण आदि बच्चों हेतु आं.बा. केन्द्रों को उन्नयन किये जाने हेतु आवश्यक सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्लेबोर्ड आदि का प्रदाय, कुपोषण का आकलन करने में सक्षम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक भार मापन यंत्र का प्रदाय ।	
15	छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण संरक्षण योजना	(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु (उन गतिविधियों हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं में विहित नहीं है) निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), नियम, 2016 द्वारा बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु निर्धारित देखभाल और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों के संधारण	35860		

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		बाबत आबंटित बजट की अपर्याप्तता की स्थिति में निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।			
16	शुचिता योजना	किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय किया जाना	130000	1000 वेंडिग यूनिट मशीन लगाया जायेगा	
17	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को नगद राशि प्रदाय किया जाना	1165681	2.15 लाख महिलाओं को लाभन्वित करने का लक्ष्य	
18	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साहिकाओं को प्रशिक्षित करना	10000	लगभग 900 आई.सी.डी.एस. अमले को प्रशिक्षण दिया जाएगा	
19	कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम	(अ) प्रदेश के 0-5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना। अभियान अंतर्गत गर्म भोजन एवं अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अण्डा, चिकी, लड्डू मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं के आई.एफ.ए. अथवा सिरप कृमि नाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएँ दी जा रही है।	828000	लगभग 3.75 लाख बच्चों एवं 3.00 लाख महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।	
		(ब) कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कार्यकर्ता, सहायिका एवं अमले को प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण का प्रदाय		बाल संदर्भ योजना अंतर्गत लगभग 3.50 लाख कुपोषित बच्चे लाभान्वित किये जायेगे।	
20	पालना	शहरी औद्योगिक क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु आंगनबाड़ी सह क्रेश	200000		

परिणामी बजट वर्ष 2024-25

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2024-25	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		केन्द्रों का संचालन		लगभग 18 हजार बच्चे लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
21	आंगनबाड़ी सेवांए (सामान्य)	योजना अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना व्यय एवं योजनांतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन। 0-6 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थय जांच, संदर्भ सेवाएं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार तथा 03-06 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना।	6423661	06 माह से 06 वर्ष के लगभग 23.17 लाख बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
22	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन उपलब्ध काराकर मूलभूत सुविधा देनाा	360020	1250 आंनगबाड़ी भवन का निर्माण	
23	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	मिशन वात्सल्य योजनांर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालकों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर बालकों को आवश्यक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आफ्टर केयर कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री बाल उदय योजना' के क्रियान्वयन हेतु।	3020		
24	बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओं	महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाये जाने वैकल्पिक व्यवसाय हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय	81003		